विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के 1- सोमवार हेतु निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
19.(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर में मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट तैयार होकर आपत्ति सुनवाई फरवरी, 2022 में हुई और लगभग पौने दो साल बाद इसको शासन में भेजा गया?	सहारनपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) पर मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 07.01.2022 से 18.04.2022 एवं संशोधित महायोजना (प्रारूप) पर दिनांक 17.02.2023 से 03.03.2023 तक जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये गये तथा महायोजना को शासन की स्वीकृति हेतु नवम्बर, 2023 में प्रेषित किया गया।
(ख) पौने दो साल तक ये फाइल सहारनपुर में क्यों लम्बित रही?	इस मध्य उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-11 में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये महायोजना-2031 (प्रारूप) को अन्तिम रूप देते हुये बोर्ड अनुमोदनोपरान्त शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।
(ग) ग्राम मेघछप्पर जोकि घंटाघर से मात्र 02 किमी0 अम्बाला रोड पर स्थित है जिससे मुख्य मार्ग पर जहाँ पिछले कई दशकों से घनी आबादी है जिसको पार्क व क्रीडा स्थल एवं ट्रांसपोर्ट नगर दर्शा दिया गया है?	प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग महायोजना-2021 के अनुरूप ही महायोजना-2031 के प्रारूप में प्रस्तावित किया गया है।
(घ) क्या इसमें बने हजारों मकान, शोरूम व कारखाने ध्वस्त किये जायेंगे?	महायोजना क्रियान्वयन से संबंधित है, जिस पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
(ड) क्या डाफ्ट बनाने से पूर्व भौतिक स्थिति का जायजा लेकर रहने वाले जन मानस से ध्वस्तीकरण की सहमती बनाई गयी?	जी.आई.एस. बेस्ड महायोजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से सैटेलाईट इमेजरी आधारित बेस मैप प्राप्त किया गया, जिसकी ग्राउण्ड ट्रूथिंग की गयी। शेष भाग महायोजना क्रियान्वयन से संबंधित है, जिस पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
(च) जिन जगहों पर पिछले 100 वर्षों से बाग है उन्हें रिहायशी व कमर्षियल किस आधार पर दिखाया गया तथा क्या उसके लिए NGT/ पर्यावरण विभाग NOC से ली गयी?	जी.आई.एस. आधारित सर्वेक्षण, विश्लेषण, जनसंख्या प्रक्षेपण, ग्रोथ ट्रेंड, पर्यावरणीय संरक्षण व भविष्य में विकास की दशा के आधार पर विभिन्न भू-उपयोग निर्धारित कर महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किया गया, जिस पर जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये। भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये स्थल पर बाग विद्यमान होने की दशा में भू-स्वामी/विकासकर्ता को वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिनियम/ शासनादेश के प्राविधानों को पूर्ण करना होगा।

(छ) जिन जगहों पर सडक, पार्क ग्रीन बेल्ट क्रीडास्थल सार्वजनिक सुविधायें आदि दर्शायी गयी है, उसमें भूमि मालिकों से अधिग्रहण की सहमति बनाई गयी?

महायोजना क्रियान्वयन से संबंधित है, जिस पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ज) क्या मास्टर प्लान में आपत्तिकर्ताओं को अपनी भूमि चिन्हित करने के लिये खसरा न0 लिखे गये है?

महायोजना में प्रमुख सड़क एवं लैण्डमार्क को प्रदर्शित किया गया है। उक्त एवं महायोजना पर प्रदर्शित स्केल की सहायता से भूमि चिन्हित की जा सकती है।

(झ) क्या जो निर्माण मास्टर प्लान 2001 व 2021 के भूउपयोग के अनुरूप नहीं हुए उसको नियमानुसार भौतिक स्थिति के अनुसार बदला गया या उन लाखों निर्माणों को ध्वस्त करने का प्रावधान भी किया गया ?

महायोजना क्रियान्वयन से संबंधित है, जिस पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।